371

माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

नि0 -518 - I -16

निगरानी /2016 मुरैना

रामचन्द्र सिंह पुत्र श्री लाल सिंह निवासी वुधारा तहसील पोरसा जिला मुरैना म.प्र.

............आवेदक

विरूद्ध

मोहर सिह पुत्र वुद्ध सिह कुशवाह निवासी वुधारा तहसील पोरसा जिला मुरैना म.प्र.

...........अनावेदक

आज दि. 12.2.16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी म0प्र0 भू–राज्य सहिता 1959 की धारा 50 एंव सहपठित धारा 32 के तहत विरूद्ध अधीक्षक महोदय भू–अभिलेख मुरैना म.प्र. के प्रकरण क 40/2004–05/अ –12 मे पारित आलोच्य आदेश दिनांक 04.10.2005 के विरूद्ध ।

माननीय महोदय ,
सेवा मे निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार है :–

प्रकरण के प्रारम्भिक तथ्य –:

1. यहकि , अनावेदक मोहर सिह पुत्र वुद्ध सिह जाति कुशवाह निवासी वुधारा द्वारा मौजा वुधारा की भूमि सर्वे नं. 863/1516 रकवा 0.42 हेक्टर का सीमाकन हेतु आवेदन पत्र भू–अभिलेख अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस आवेदन पत्र से तहसीलदार पोरसा द्वारा दिनांक 24.6.2005 को प्रकरण क 40/2004–05 अ–12 दर्ज किया जाकर सीमाकन रिपोर्ट हेतु पेशी दिनांक 26.7.2005 नियत की गई । राजस्व निरीक्षक अमर सिह यादव द्वारा वगैर हितवद्ध व्यक्तियो को सूचना व सुनवाई का मोका दिये सर्वे कमाक 863 के सभी सरहदी कृषको को सूचना व सुनवाई का मोका दिये एवं कलेक्टर महोदय मुरैना के प्रकरण क 76/03–04 /बी 121 जिसमे स्थगन आदेश दिनांक 7.7.04 होने के वावजूद भी आदेश दिनांक 4.10.2005 से सर्वे कमाक 863/1516 का अवैध व मनमाना पूर्ण आदेश पारित किया गया जो आदेश स्थर रखे जाने योग्य न होकर निरस्त योग्य हैं ।
2. यहकि, कलेक्टर जिला मुरैना द्वारा दिनांक 24.6.05 को पत्र जारी कर राजस्व निरीक्षक को आदेश दिया कि भूमि सर्वे कमाक 863 का सीमाकन सभी हितव वद्ध व्यक्तियो को सीमाकन स्थल पर उपस्थिति मे सीमाकन किये जाने के आदेश प्रदान किये थे परन्तु फिर भी वगैर किसी हितवद्ध व्यक्तियो को सूचना व सुनवाई का मोका दिये अवैध व मन माना पूर्ण सीमाकंन आदेश पारित किया गया है।
3. यहकि, आवेदक भी उक्त भूमि सर्वे कमाक 863 ग्राम वुधारा मे स्थिति है जो कि हितवद्ध व पीडित पक्षकार है जिनके सर्वे कमाक 863/1 ,863/2 है जिसका रकवा 1.62 है जिस भूमि पर सीमाकन किये जाने से आवेदक की भूमि से 0.42 हे. भूमि पर अनावेदक द्वारा अपना आधिपत्य व कब्जा कर लिया है। एंव उक्त भूमि को विकय भी कर दिया गया है जिससे दुखित

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :—निगरानी—518—एक/2016 जिला—मुरैना

रामचन्द्र सिंह विरूद्ध मोहर सिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
11—03—2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. यह निगरानी अधीक्षक, भू—अभिलेख मुरैना, जिला—मुरैना के प्रकरण क्रमांक 40/अ—12/2004—05 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 04—10—2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 08—05—2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जांये। (आर.के. जैन) 11.3.19 सदस्य	